कार्यालय जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित राजगढ़ (ब्यावरा) म.प्र.

सूचना का अधिकार वर्ष 2005 से संबंधित 17 बिन्दूओं की जानकारी निम्नानुसार है :–

बिन्दू कमांक – 1 जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित राजगढ़ (ब्यावरा) की संरचना निम्नानुसार है :–

कं0	पदनाम	स्वीकृत पद
01	02	03
01	कार्यपालन अधिकारी	1
02	क्षैत्रिय अधिकारी	1
03	लेखापाल	1
04	निम्न श्रेणी लिपिक	1
05	भृत्य	1
06	चौकीदार	1

बिन्दू कमांक – 2

कं0	अधिकारी का नाम	कर्त्तव्य
01	02	03
01	श्री व्ही.के. जैन	कार्यपालन अधिकारी कार्यालय प्रमुख
02	–	क्षैत्रिय अधिकारी पद रिक्त है

बिन्दू कमांक – 3

कार्यपालन अधिकारी

⇩

क्षैत्र अधिकारी

⇩

लेखापाल लिपिक

भृत्य चौकीदार

कार्यालय में आने वाले समस्त पत्र कार्यपालन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होते है, जिन्हें संबंधित को मार्किंग उपरांत वितरीत किये जाते है । संबंधित शाखा प्रभारी व्दारा पत्र नस्ती के साथ प्रस्तुत किया जाता है एवं क्षेत्र अधिकारी की टीप उपरांत कार्यपालन अधिकारी को प्रस्तुत होकर उनका निराकरण किया जाता है ।

बिन्दू कमांक – 4

कमांक	कार्य / प्रयोजन	समय सीमा
01	**02**	**03**
01	ऋण आवेदन फार्म प्रदाय	तत्काल
02	ऋण आवेदनों का परीक्षण	7 दिवस
03	ऋण आवेदनों का बैंक से ऋण	30 दिवस
04	अनुदान स्वीकृति (चयन समिति की अनुशंसा पर)	15 दिवस
05	राष्ट्रीय निगमों की योजनान्तर्गत ऋण स्वीकृति (चयन समिति की अनुशंसा पर)	30 दिवस
06	राष्ट्रीय निगम की योजनान्तर्गत ऋण वितरण / (आवंटन प्राप्त होने से)	30 दिवस

बिन्दू कमांक – 5 जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति में मेन्यूअल के स्थान पर म.प्र. राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम से प्राप्त आदेशों एवं निर्देशों के अनुसार कार्य संपादन किया जाता है ।

बिन्दू कमांक – 6 कार्यालय में संधारित किये जाने वाले अभिलेखों की सूची निम्नानुसार है :–

01. सदस्यता पंजी
02. ऋण आवेदन पंजी
03. आवेदन फार्म प्रदाय पंजी
04. बैंकों को प्रेषित ऋण प्रकरणों की पंजी
05. अनुदान पंजी
06. समिति के संचालक मण्डल की बैठक पंजी
07. राष्ट्रीय निगमों के हितग्राहियों की ऋण लेखा पंजी

बिन्दू क्रमांक – 7 जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति में परामर्श दात्री समिति नहीं है।

बिन्दू क्रमांक – 8 जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति में निम्नानुसार बोर्ड एवं समिति का गठन किया गया है :–

01. संचालक मण्डल
02. हितग्राही चयन समिति

बिन्दू क्रमांक – 9 एवं 10

जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित राजगढ़ (ब्यावरा) म.प्र. में निम्नानुसार अधिकारी एवं कर्मचारी पदस्थ है :–

क्र0	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	वेतन एवं महंगाई भत्ता	अन्य सुविधाऐं
01	02	03	04	05
01	श्री व्ही.के. जैन	कार्यपालन अधिकारी	14180.00	
02	श्री पी.एन. भार्गव	लेखापाल	9539.00	
03	श्री एम.सी. चन्देल	निम्न श्रेणी लिपिक	6622.00	
04	श्री गंगाराम संजोदिया	भृत्य	4451.00	वर्दी एवं वर्दी धुलाई
05	श्री फूलसिंह उमठ	चौकीदार	4628.00	वर्दी एवं वर्दी धुलाई

बिन्दू कमांक – 11

मदवर प्राप्त आवंटन एवं उपयोग कीजानकारी (01.04.2005से 31.03.2006 तक)

आय व्यय पत्रक माह जून 2006

क0	मद का नाम	प्राप्त आवंटन	उपयोगिता (व्यय)
1	2	3	4
01	अधिकारी / कर्मचारी वेतन	95,100.00	1,01,755.00
02	मंहगाई भत्ता	2,66,000.00	2,84,212.00
03	अंतरिम राहत	25,000.00	24,797.00
04	अन्य भत्ते / केशियर	600.00	300.00
05	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	13,500.00	14,500.00
06	त्योहार अग्रिम	-	-
07	अनाज अग्रिम	-	-
08	सफाई भत्ता	-	300.00
09	आवास भत्ता	29,700.00	25,540.00
10	पेट्रोल भत्ता	-	-
11	नगर क्षतिपूर्ति भत्ता	-	-
12	कर्मचारी भविष्य निधि	47,000.00	48,675.00
13	वर्दी भत्ता (धुलाई)	500.00	780.00
	योग :–	**4,77,400.00**	**5,00,949.00**
14	यात्रा भत्ता	10,000.00	46,175.00
15	कार्यालय व्यय/अग्रिम	-	-
16	लेखन सामग्री	8,000.00	11,372.00
17	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	8,000.00	9,604.00
18	बिजली एवं जल व्यय	5,000.00	-
19	डाक तार	7,500.00	6,937.00
20	टेलीफोन व्यय	7,000.00	5,134.00
21	चतुर्थ श्रेणी वर्दी	2,000.00	1,514.00
22	स्वागत व्यय	7,000.00	3,582.00
23	वाहनों का रख–रखाव	-	-
24	पेट्रोल डीजल	-	-
25	वाहन का बीमा	-	-
26	वाहन का रोड टेक्स	-	-
27	बेटरी	-	-
28	वाहन मरम्मत व्यय	-	-
29	टायर ट्यूब	-	-
30	भवन किराया	-	-
	अन्य आकस्मिक व्यय	5,000.00	6,151.00
	योग :–	**59,500.00**	**90,469.00**
	महायोग :–	**5,36,900.00**	**5,91,418.00**

कार्यपालन अधिकारी,
जिला अंत्यावसायी सह.विकास समिति
जिला राजगढ़ (ब्यावरा) म.प्र.

बिन्दू क्रमांक – 12

जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति व्दारा संचालित कार्यक्रमों की जानकारी :–

01. अंत्योदय स्वरोजगार योजना ।
02. प्रतिष्ठा पुर्नवास योजना ।
03. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के वित्त पोषण से संचालित स्वरोजगार योजना ।
04. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम के वित्त पोषण से संचालित स्वरोजगार योजना ।
05. राष्ट्रीय निः शक्तजन वित्त एवं विकास निगम के वित्त पोषण से संचालित स्वरोजगार योजना ।

01. **अंत्योदय स्वरोजगार योजना** :– उक्त योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के पात्रतानुसार योग्यता रखने वाले सदस्यों के प्रकरण कार्यालय व्दारा प्राप्त किये जाकर संबंधित क्षेत्र की बैंकों को ऋण अनुशंसा के साथ प्रेषित किये जाते है । जिनमें बैंकों से ऋण स्वीकृति उपरांत स्वीकृत राशि का 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 10,000.00 तक अनुदान उपलब्ध कराया जाता है । हितग्राहियों का चयन जिला स्तरीय चयन समिति व्दारा किया जाता है । वित्तीय वर्ष 2006–07 के लिये 190 हितग्राहियों हेतु लक्ष्य दिया गया है जिसमें 19.00 लाख का अनुदान का वित्तीय लक्ष्य निर्धारित है ।

02. प्रतिष्ठा पुर्नवास योजना :– उक्त योजनान्तर्गत सफाई कामगारों एवं उनके परिवार सदस्यों को सम्मानजनक स्वरोजगार में पुर्नव्यवस्थापन के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से ऋण एवं अनुदान उपलब्ध कराया जाता है ।

पात्रतानुसार योग्यता रखने वाले सफाई कामगार सदस्यों के प्रकरण कार्यालय व्दारा प्राप्त किये जाकर उनके संबंधित क्षेत्र की बैंकों को ऋण स्वीकृति अनुशंसा करते हुए प्रेषित किये जाते है । जिनमें बैंको से ऋण स्वीकृति उपरांत 50 प्रतिशत अधिकतम रूच 10,000/– तक अनुदान उपलब्ध करया जाता है । हितग्राहियों का चयन जिला स्तरीय चयन समिति व्दारा किया जाता है ।

वित्तीय वर्ष 2006–07 के लिये शेष रहे कुल 100 सफाई कामगारों को लाभांवित करने का लक्ष्य रखा गया है जिसमें 10.00 लाख अनुदान का लक्ष्य निर्धारित है ।

03. **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की स्वरोजगार योजना :–**

उक्त योजनान्तर्गत निगम भोपाल से लक्ष्य आवंटित होने पर प्रेस नोट जारी कर एवं जिला, जनपद एवं तहसील मुख्यालयों पर प्रचार–प्रसार तथा स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से निर्धारित दिनांक तक पात्रता रखने वाले सदस्यों से आवेदन प्राप्त किये जाते है हितग्राहियों का चयन जिला स्तरीय चयन समिति व्दारा किया जाता है । चयन उपरांत हितग्राहियों की चयनित सूची ऋण प्रस्ताव के साथ निगम मुख्यालय भोपाल भेजी जाती है ।

वर्ष 2006–07 के लिए लक्ष्य प्राप्त नहीं हुए है ।

04. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम की स्वरोजगार योजना :–

उक्त योजनान्तर्गत 10 हितग्राहियों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है जिसके विरूद्ध पात्रतानुसार योग्यता रखने वाले 8 सदस्यों के चयन कर सूची भेजी गई है ।

हितग्राहियों का चयन जिला स्तर पर गठित चयन समिति व्दारा किया जाता है तदुपरांत चयनित सूची निगम भोपाल को भेजी जाती है ।

05. राष्ट्रीय निः शक्तजन वित्त एवं विकास निगम की स्वरोजगार योजना :–

उक्त योजनान्तर्गत निगम भोपाल से लक्ष्य प्राप्त होने पर प्रेस नोट विज्ञप्ति जारी कर आवेदन पत्र निर्धारित दिनांक तक प्राप्त किये जाते है । पात्रतानुसार हितग्राहियों का चयन जिला स्तरीय चयन समिति व्दारा किया जाता है ।

वित्तीय वर्ष 2006–07 में अब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हुए है । वर्ष 2004–05 के 19 प्रस्ताव निगम भोपाल में लंबित है ।

बिन्दू कमांक–13

वास्तविक हितग्राहियों की सूची के संबंध में जिला समिति कार्यालय में हितग्राही पंजी संधारित की जाकर अनुदान राशि नियमानुसार प्रदान की जाती है ।

बिन्दू कमांक–14

उपरोक्त समस्त योजनान्तर्गत ऋण एवं अनुदान पंजीयां संधारित है तथा हितग्राही को मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है ।

बिन्दू कमांक–15

आम नागरिकों को सूचना निम्न व्यवस्थाओं के तहत उपलब्ध कराई जाती है ।

01. सूचना पटल पर ।
02. स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से ।
03. जागृति / जागरूकता शिविर आयोजित कर ।
04. क्षैत्रिय अधिकारियों के मार्गदर्शन व्दारा ।

बिन्दू कमांक–16

जिला समिति में कार्यपालन अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी है ।

बिन्दू कमांक–17

अंत्योदय स्वरोजगार, प्रतिष्ठा पुर्नवास एवं राष्ट्रीय निगमों के वित्त पोषण की स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी समाचार पत्रों एवं शिविरों तथा क्षैत्रिय अधिकारियों के मार्गदशन व क्षैत्र भ्रमण कर प्रचारित की जाती है ।

कार्यपालन अधिकारी,
जिला अंत्यावसायी सह.विकास समिति
जिला राजगढ़ (ब्यावरा) म.प्र.